

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल-दाउदनगर।

पत्रांक:- 2051/11.06

दाउदनगर/दिनांक:- 11/06/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल-दाउदनगर।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी(RWD MIS)
ग्रामीण कार्य विभाग,
ब्राडा,पटना।

विषय:- NABARD योजना अन्तर्गत पथों को ADD करने के संबंध में।

महाशय,

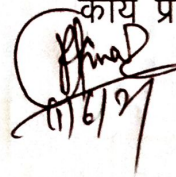
उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में NABARD योजना अन्तर्गत पथों को RWD MIS के Project Entry में ADD किये जानेवाली पथों की सूची विहित प्रपत्र में तैयार कर समर्पित की जा रही है।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल-दाउदनगर।



Executive Engineer Rural Work Department, Works Division-Daudnagar

Sl no.	Scheme	Division	Assembly	Block	Sanction Year	Name of road	AA Letter no and date	Length (In km)	Main Work	Maintenance amount	Contingency amount	Total (in Lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	NABARD	Daudnagar	Rafiganj	Rafiganj	2020-2021	Rafiganj Prakhanda ke Temuda se Bel-pauthu tak	Lt.No-2436 Date- 20/07/2020	2.658	182.079	14.908	0.00	196.987

Executive Engineer
Rural Work Department
Works Division-Daudnagar



बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- गु0 अ0-4 (गु0) रा0 यो0-03-406/2019 - 2436

/पटना, दिनांक- 20/7/2020

प्रेषक,

संजय दूबे भा0 प्र0 से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के औरंगाबाद जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, दाउदनगर के अधीन रफीगंज प्रखंड के तेमुड़ा से बेल-पौथू तक सम्पर्क पथ का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 2.658 कि0 मी0 निर्माण हेतु रू0 182.079 लाख एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि 14.908 लाख अर्थात् कुल राशि 196.987 लाख (एक करोड़ छियानबे लाख अंठानबे हजार सात सौ रुपये) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निर्देशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- 103-ग्राम विकास-राज्य योजना-उप शीर्ष-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना) उप शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य के औरंगाबाद जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, दाउदनगर के अधीन रफीगंज प्रखंड के तेमुड़ा से बेल-पौथू तक सम्पर्क पथ का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 2.658 कि0 मी0 निर्माण हेतु रू0 182.079 लाख एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि 14.908 लाख अर्थात् कुल राशि 196.987 लाख (एक करोड़ छियानबे लाख अंठानबे हजार सात सौ रुपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

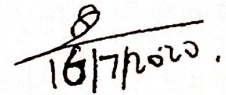
1. इस योजना को वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में पूरा किये जाने का उद्देश्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दाउदनगर संबंधित योजना के लिए सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना)-उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड- 37-4515001030105 है के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 300.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पॉच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, औरंगाबाद एवं तेमुड़ा अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दाउदनगर यह सुनिश्चित करने के लिए योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अंतर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. इस योजना का चयन माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं0- गु0 अ0-4 (गु0) रा0 यो0-03-406/2019 के पृ0 सं0-05/टि0 पर दिनांक 23.06.2020 को किया गया।
9. इस योजना के स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं0-गु0 अ0-4 (गु0) रा0 यो0 03-406/2019 के पृ0 सं0-07/टि0 पर दिनांक 30.06.2020 को प्रदा है।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा
अनुमोदित रूप से परामर्शित

16/7/20

10. बाड़ा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जायेगी।
11. कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
13. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०- गु० अ०-4 (गु०) रा० यो० 03-406/2019 के पृ० सं०- १ /टि० पर दिनांक 7.7.2020 को प्राप्त है।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक संपन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।
17. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

विश्वरामाजन

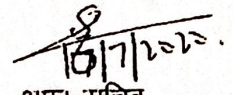


(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक- गु० अ०-4 (गु०) रा० यो०-03-406/2019-2436

/पटना, दिनांक- 20/7/2020

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



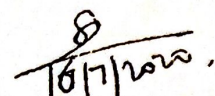
अपर सचिव

ज्ञापांक- गु० अ०-4 (गु०) रा० यो०-03-406/2019-2436

/पटना, दिनांक 20/7/2020

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आर सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, मगध/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/उप विकास, आयुक्त औरंगाबाद/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य, विभाग/सचिव सह इम्पावर्ड ऑफिसर बाड़ा/मुख्य अभियंता-1, पटना ग्रा० का० वि०/गु० अ०-4 (मुख्यालय) ग्रा० का० वि०/अधीक्षण अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य अंचल, औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद/मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड; बिहार क्षेत्रीय कार्यालय (मौर्या कम्पलेक्स पॉचवीं मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना, आई० टी० मैनेजर, ग्रा० का० वि० को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

MA



अपर सचिव